विद्युत सेवा आयोग

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
एस0एल0डी0सी0 परिसर (निकट मंत्री आवास)
विभूति खण्ड, फेज–2, गोमती नगर
लखनऊ–226010
CIN : U32201UP1999SGCO24928

विज्ञापन सं० 05/विसेआ/2020/AA/बैकलॉग

उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लि० एवं उसकी सहयोगी कम्पनियों हेतु समूह 'ग' के अन्तर्गत **"सहायक लेखाकार" (बैकलॉग)** के निम्नलिखित श्रेणीवार बैकलॉग के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से प्रतियोगितात्मक परीक्षा द्वारा चयन हेतु **निर्धारित अर्हता रखने वाले भारतीय नागरिकों** से आवेदन केवल **ऑनलाइन माध्यम** के द्वारा आमंत्रित हैं। व्यक्तिगत रूप से अथवा अन्य माध्यम से भेजे गये आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जायेगा। श्रेणीवार रिक्तियों का विवरण निम्नवत् है :–

1. रिक्तियों का विवरणः–

क्रम सं0	पद कोड	पदनाम	अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी (नॉन क्रीमीलेयर)	अनुसूचित जाति श्रेणी	अनुसूचित जनजाति श्रेणी
1	21	सहायक लेखाकार (ASSISTANT ACCOUNTANT)	21	11	01

- उपरोक्त रिक्तियों की संख्या आवश्यकतानुसार घटाने एवं बढ़ाने का अधिकार उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लि० के पास सुरक्षित है।
- **आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास आधार कार्ड अथवा विधिमान्य फोटोयुक्त पहचान पत्र का होना अनिवार्य है।**
- उपरोक्त पदों पर आरक्षण का लाभ केवल उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासियों को ही अनुमन्य है।
- विज्ञापित पद पर आवेदकों की संख्या अधिक होने की स्थिति में ऑन–लाइन परीक्षा (CBT) एक से अधिक पालियों/दिवसों में करायी जायेगी। विभिन्न पालियों के प्रश्नपत्रों के मूल्यांकन के पश्चात् संलग्नक–1 के अनुसार Normalisation method (CBT के प्रथम एवं द्वितीय भाग में) श्रेष्ठता निर्धारण में प्रयुक्त होगा।
- केन्द्र/राज्य सरकार या किसी अन्य विभाग की सेवा से निष्कासित व्यक्ति उपरोक्त पदों हेतु अर्ह नहीं हैं।

2. वेतनमानः– वेतन मैट्रिक्स लेवल –05 में वेतनमान रू0 29800–94300 एवं अन्य भत्ते उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 में लागू, नियमानुसार देय होंगे।

3. अनिवार्य शैक्षिक एवं अन्य अर्हतायें:– आवेदन के समय अभ्यर्थी के पास निम्न अर्हता का पूर्ण धारित होना आवश्यक है:

सहायक लेखाकार (ASSISTANT ACCOUNTANT)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय (केन्द्र अथवा राज्य सरकार के एक्ट द्वारा स्थापित) से **वाणिज्य में स्नातक** डिग्री।

4. आयुः– दिनांक 01.07.2020 को न्यूनतम – 21 वर्ष एवं अधिकतम – 40 वर्ष।

5. अधिकतम आयु सीमा में अनुमन्य छूट : उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन–क्रीमीलेयर)श्रेणी के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की एवं भूतपूर्व सैनिक (यथा उत्तर प्रदेश के शासनादेश में परिभाषित एवं जिन्होंने सेना में कम से कम 05 वर्ष की सेवा की हो) को अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा सेना में की गयी पूर्ण वर्षों की सेवा की अवधि में तीन वर्ष जोड़ते हुए छूट नियमानुसार अनुमन्य होगी। विकलांग अभ्यर्थियों (केवल विकलांगता श्रेणी OA/OL) को अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्षों की छूट अनुमन्य होगी।

6. आरक्षणः–(क)आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है।

(ख)अनुसूचित जनजाति के उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर अनूसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों का चयन नियमानुसार किया जायेगा।

(ग) भूतपूर्व सैनिक(यथा उत्तर प्रदेश के शासनादेश में परिभाषित एवं जिन्होंने सेना में कम से कम 05 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो) को नियमानुसार रिक्तियों का 5 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य होगा।

(घ) विकलांग अभ्यर्थियों को नियमानुसार कुल रिक्तियों का 4 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य होगा।

ESCUPPCI विद्युत सेवा आयोग सचिव 2020

(ङ) अभ्यर्थी को केवल आवेदित श्रेणी का ही लाभ अनुमन्य होगा।

नोटः–कारपोरेशन द्वारा अंगीकृत शासनादेश के अनुसार विज्ञापित पदों के विरूद्ध गणनानुसार क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित अभ्यर्थियों हेतु पद उपलब्ध नहीं हैं।

7. **चयन प्रक्रिया** :– अभ्यर्थी द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र में उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर लिखित परीक्षा (CBT) में अस्थायी रुप से (provisionally) सम्मिलित किया जायेगा। अभ्यर्थियों के मात्र लिखित परीक्षा (CBT) में सम्मिलित होने से अर्हता अथवा चयन का अधिकार प्राप्त नही हो जायेगा। चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जायेगा।

लिखित परीक्षा (CBT)

सहायक लेखाकार के पद पर विद्युत सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती हेतु **वस्तुनिष्ठ प्रकार की** लिखित परीक्षा (CBT) होगी। लिखित परीक्षा (CBT) का प्रश्न–पत्र दो भागों का होगा। प्रथम भाग में 50 प्रश्न एवं द्वितीय भाग में 150 प्रश्न होंगे।

प्रथम भागः

(1) प्रथम भाग की लिखित परीक्षा (CBT) में DOEACC के "O" स्तर का कम्प्यूटर ज्ञान से सम्बन्धित एक प्रश्न–पत्र होगा जिसमें 50 प्रश्न होगें। प्रत्येक प्रश्न 01 अंक का होगा अर्थात यह परीक्षा अधिकतम 50 अंकों की होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक की अतिरिक्त कटौती की जायेगी।

(2) कम्प्यूटर ज्ञान की **प्रथम भाग की परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा** अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित अभ्यर्थी को अर्ह न मानते हुये उसकी लिखित परीक्षा(CBT) के द्वितीय भाग का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।

द्वितीय भागः

(1) द्वितीय भाग की लिखित परीक्षा(CBT) का पाठ्यक्रम (Syllabus) निम्नवत होगाः–

(i) General English & General Hindi.

(ii) Arithmetic.

(iii) Accountancy, Auditing and Income Tax (conforming to the graduation standard)

The syllabus of Accountancy, Auditing And Income Tax is detailed below:-

Accountancy:-

(a) Trading and Profit & Loss Accounts and Balance Sheet.
(b) Bills of Exchange.
(c) Self balancing ledgers and sectional balancing.
(d) Capital & Revenue, Receipts & Payments, Income & Expenditure Accounts.
(e) Depreciation, Reserve & Provisions.
(f) Branch and Departmental Accounts.
(g) Double Accounts System.
(h) Bank Reconciliation Statement.
(i) Rectification of Errors.
(j) Balance-Sheet formats & classification.

Auditing and Income-Tax:-

(a) Object of Audit.
(b) Vouching and verification.
(c) Rights, Duties and Liabilities of Auditors.
(d) Income Tax, Provisions pertaining to income from salary and Provisions related to chapter-VI of Income tax Act 1961.
(e) Provision relating to TDS & forms to be filed with Income-Tax Department.

(2) प्रत्येक प्रश्न 01 अंक का होगा अर्थात यह परीक्षा अधिकतम 150 अंकों की होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिये 1/4 अंक की अतिरिक्त कटौती की जायेगी।

(3) कम्प्यूटर ज्ञान के प्रथम भाग के प्रश्नपत्र में अर्जित अंक, श्रेष्ठता (मेरिट) निर्धारण हेतु जोड़े नहीं जायेंगे।

ESCUPPCI सचिव 2020

8. परीक्षा स्थानः– परीक्षायें यथासंभव लखनऊ, मेरठ, आगरा एवं वाराणसी शहरों में होगी। अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर अथवा विशेष परिस्थितियों में परीक्षा के स्थान को बदला अथवा घटाया/बढ़ाया जा सकता है।

9. अर्हताओं एवं अन्य प्रमाण पत्रों का प्रस्तुतीकरणः–अभ्यर्थी द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र में उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर लिखित परीक्षा(CBT) में अस्थायी रुप से (provisionally) सम्मिलित किया जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा मात्र लिखित परीक्षा(CBT) में सम्मिलित होने से अर्हता अथवा चयन का अधिकार प्राप्त नही हो जायेगा। लिखित परीक्षा(CBT) के प्रथम भाग में घोषित अर्ह अभ्यर्थियों की सूची में से परीक्षा के द्वितीय भाग में प्राप्त अंकों की श्रेष्ठतानुसार कुल श्रेणीवार रिक्तियों के दो गुने अभ्यर्थियों को अभिलेखों की जॉच हेतु शार्टलिस्ट किया जायेगा। अभ्यर्थियों द्वारा विज्ञापित पद हेतु निर्धारित अर्हता सम्बन्धी योग्यता प्रमाण पत्र/अंकपत्र/जाति प्रमाण पत्र (अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र दिनांक 31.03.2020 के बाद का निर्गत होना आवश्यक है)/मूल निवास प्रमाण पत्र (दिनांक 31.03.2017 के बाद का निर्गत होना आवश्यक है)/विकलॉगता प्रमाण पत्र/भूतपूर्व सैनिक(यथा उत्तर प्रदेश के शासनादेश में परिभाषित एवं जिन्होंने सेना में कम से कम 05 वर्ष की सेवा की हो) प्रमाण पत्र इत्यादि (जो अप्रासंगिक हों उन्हें छोड़कर) की एक–एक स्वयं सत्यापित एवं हस्ताक्षरित छायाप्रति ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिन्टआउट के साथ अभिलेखों की जॉच के समय जमा करायी जायेगी। अभिलेखों की जॉच हेतु शॉर्टलिस्ट आमंत्रित अभ्यर्थियों के ही अर्हता सम्बन्धी प्रमाण पत्रों की जॉच विभिन्न स्तरों पर की जायेगी। किसी भी प्रकार की गलत सूचना देने/प्राप्त होने पर, बिना सूचना के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थन निरस्त करने एवं चयन प्रक्रिया से वंचित करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित है। अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्रों की जॉच मूल प्रमाण पत्रों से करने के उपरान्त अर्हतानुसार सही पाये गये अभ्यर्थियों की सूची में से श्रेणीवार रिक्तियों के सापेक्ष श्रेष्ठतानुसार चयनित अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जायेगी। लिखित परीक्षा(CBT) में एक से अधिक अभ्यर्थियों द्वारा समान अंक पाने की स्थिति में आयु में वरिष्ठ अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी।

10. अनापत्ति प्रमाण पत्रः– यदि कोई अभ्यर्थी किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग में कार्यरत है तो उसे नियुक्ति के समय अपने विभागाध्यक्ष द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।

11. चरित्र :– अभ्यर्थी को अपने पिछले शिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य एवं दो सम्मानित व्यक्तियों, जो सम्बन्धी न हो, द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण–पत्र नियुक्ति के समय प्रस्तुत करना होगा।

12. वैवाहिक स्थितिः– ऐसे पुरूष/महिला अभ्यर्थी जो विधि विरूद्ध एक से अधिक जीवित पत्नी/पति रखते हों, चयन हेतु अर्ह नहीं होंगे।

13. शारीरिक स्वस्थता प्रमाण पत्रः–अभ्यर्थी को प्रतियोगितात्मक परीक्षा के आधार पर सेवा में नियुक्ति हेतु योग्य पाये जाने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत शारीरिक स्वस्थता प्रमाण पत्र नियुक्ति के समय प्रस्तुत करना होगा।

14. आवेदन शुल्क एवं प्रोसेसिंग चार्जेजः–आवेदन शुल्क एवं प्रोसेसिंग चार्जेज अप्रतिदेय (Non Refundable) है।

1.	उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थी हेतु	Rs. 700/- प्रति आवेदन
2.	उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन–क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थी हेतु	Rs. 1000/- प्रति आवेदन
3	विकलांग अभ्यर्थियों हेतु केवल प्रक्रमण शुल्क	Rs. 10/- प्रति आवेदन

(1) आवेदन शुल्क एवं प्रोसेसिंग चार्जेज नेट बैंकिंग/डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/पेमेंट गेटवे अथवा स्टेट बैंक आफ इंडिया के चालान के माध्यम से जमा होगा, इसके अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से आवेदन शुल्क जमा नहीं होगा एवं जमा करने की विधि वेबसाइट www.uppcl.org पर उपलब्ध है। **बैंक चार्जेज अभ्यर्थी द्वारा अलग से देय होंगे।**

(2) आवेदन शुल्क एवं प्रोसेसिंग चार्जेज के मद में जमा की गयी धनराशि किसी भी दशा में न तो वापस की जायेगी और न ही स्थानान्तरित अथवा किसी अग्रिम चयन हेतु सुरक्षित की जायेगी।

15. आवेदन कैसे करेंः–कारपोरेशन की वेबसाइट www.uppcl.org को खोलें एवं टैब "APPLY ONLINE AGAINST ADVT NO. 05/VSA/2020/AA/Backlog"FOR THE POST OF ASSISTANT ACCOUNTANT-BACKLOG पर क्लिक करें तथा खुलने वाले नये वेब पेज पर "How to Apply" पर क्लिक कर प्रक्रिया को भली–भॉति समझें एवं आवेदन पत्र को निर्देशानुसार पूर्ण करें। **अभ्यर्थियों को सुझाव दिया जाता है कि वे अपना रजिस्टर्ड ई–मेल एवं मोबाइल नं0 को अन्तिम परीक्षाफल आने तक सजीव रखें। परीक्षा सम्बन्धी महत्वपूर्ण सूचना इन्हीं के माध्यम से प्रेषित की जायेगी।**

ESCUPPCI सचिव 2020

16.प्रवेश पत्रः– लिखित परीक्षा(CBT) हेतु प्रवेश पत्र को अभ्यर्थी द्वारा वेबसाइट **www.uppcl.org** से डाउनलोड करना होगा तथा इसकी सूचना आवेदन पत्र में दिये गये रजिस्टर्ड मोबाइल नं0 पर SMS एवं रजिस्टर्ड ई–मेल पर मेल द्वारा प्रेषित की जायेंगी। प्रवेश पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे।

17. अन्य विशेष सूचनाः–

(1)अनिवार्य अर्हता सम्बन्धी सभी प्रमाण पत्रों को अभिलेखों की जॉच के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

(2)सभी प्रासंगिक अर्हताओं सम्बन्धी प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियॉं तथा एक–एक स्वयं सत्यापित छायाप्रति मूल आवेदन पत्र के साथ, अभिलेखों की जॉच के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। **इन्हें प्रस्तुत न कर पाने की स्थिति में अथवा प्रस्तुत अभिलेख गलत पाये जाने पर अथवा आवेदन पत्र में दी गयी सूचना विज्ञापन के अनुरुप न होने पर अभ्यर्थी को अभिलेखों की जॉच में सम्मिलित न करते हुए अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।**

(3)अभिलेखों की जॉच विभिन्न स्तरों पर की जायेगी। किसी भी स्तर पर गलत सूचना देने/प्राप्त होने पर अर्हता पूर्ण न पायें जाने पर अभ्यर्थन/चयन बिना कारण बतायें निरस्त किया जा सकता हैं।

(4)आवेदन सम्बन्धी पूछताछ हेतु **helpdesk52aa@gmail.com** पर सम्पर्क किया जा सकता है। सभी पत्राचार आवेदन पत्र में भरे गये पत्राचार के पते पर ही किये जायेंगे। उपर्युक्त विज्ञापन बिना कारण बतायें निरस्त करने का अधिकार कारपोरेशन के पास सुरक्षित रहेगा। विज्ञापन का सम्पूर्ण विवरण वेबसाइट www.uppcl.org पर आवेदन करने की अंतिम तिथि तक देखा जा सकता है।

18. पारदर्शिताः– परीक्षा की पारदर्शिता हेतु निम्न व्यवस्थायें की गई हैं:–

लिखित परीक्षा(CBT) की समाप्ति के पश्चात् प्रश्नपत्र का सही हल, परीक्षा की समाप्ति से यथासम्भव 02 दिन के अन्दर, विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जायेगा अथवा डाउनलोड करने हेतु लिंक उपलब्ध कराया जायेगा एवं अभ्यर्थी को अपलोड की तिथि से 03 दिन तक का समय साक्ष्य सहित आपत्ति दर्ज कराने हेतु उपलब्ध कराया जायेगा। प्राप्त सभी आपत्तियों को संज्ञान में लेने एवं विषय विशेषज्ञों की राय (जिनका निर्णय अंतिम होगा) के उपरांत लिखित परीक्षा(CBT) का मूल्यांकन करते हुए शार्टलिस्टेड सूची जारी की जाएगी। अभ्यार्थियों को **www.uppcl.org** की वेबसाइट से रिस्पांस–शीट अपने लागिन आई0डी0 एवं पासवर्ड से डाउनलोड़ करना होगा ये आयोग द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के पश्चात् परीक्षा सम्बन्धी किसी भी आपत्ति को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

19. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र केवल उत्तर प्रदेश होगा।

20. **महत्वपूर्ण तिथियॉं :**

क0सं0	विवरण	तिथि
1	ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्ण करने की तिथियाँ	09-09-2020 से 29-09-2020 तक
2	नेट बैंकिंग/क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड इत्यादि द्वारा आवेदन शुल्क जमा करने की तिथियाँ–	09-09-2020 से 29-09-2020 तक
3	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के चालान द्वारा आवेदन शुल्क जमा करने की तिथियाँ (चालान डाउनलोड करने की अन्तिम तिथि 29.09.2020)–	09-09-2020 से 01-10-2020 तक
4	ऑनलाइन (CBT) परीक्षा की सम्भावित अवधि	अक्टूबर 2020 के चतुर्थ सप्ताह

सचिव
विद्युत सेवा आयोग

....

सं0 ८७६/विसेआ/05–विसेआ–2020/ AA/बैकलॉग दिनांकः२५/०८/2020

Z-Score Normalization

Normalized Score for each candidate (Xn)

Below is the formula that is used in the calculation of the normalized scores of the multisession papers.

$$Xn = \frac{S2}{S1} * (X - Xav) + Yav$$

S2	Is the Standard Deviation of the shift with the Highest Average Score taken as base for normalization
S1	Standard Deviation for the corresponding shift (to be scaled to S2)
X	Raw score of a candidate
Xav	Simple average of the candidate Shift
Yav	Average corresponding to shift with highest Average (taken as base for normalization)

ELECTRICITY SERVICE COMMISSION